# ऑस्ट्रेलिया में विवाह क्या है?

## आइए, विवाह क्या है, इस बारे में एक सामान्य समझ विकसित करके शुरुआत करें

ऑस्ट्रेलिया में, विवाह दो लोगों के बीच एक कानूनी मिलन है जो:

- कम से कम 18 वर्ष की आयु हों
- उस समय किसी और से विवाहित न हों
- विवाह का अर्थ समझें और विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति दें।

इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने विवाह के लिए सहमति देने तथा विवाह का साथी चुनने का अधिकार है। वे किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के हकदार हैं, और यह अधिकार इस्लामी विवाह अनुबंध का एक मूलभूत हिस्सा है।

## हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं

- महिलाओं के आत्मनिर्णय को सशक्त बनाकर
- असमानता और नुकसान के मुद्दों पर मानवाधिकार दृष्टिकोण अपनाकर
- ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में समानता का पक्ष-समर्थन करने और इसके लिए शिक्षा देने हेतु व्यक्तियों, समुदायों और सरकार के साथ काम करके

## ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम महिला मानवाधिकार केंद्र


**टेलीफ़ोन:** 03 9481 3000

**ईमेल:** reception@amwchr.org.au

**पोस्ट:** PO Box 826 North Melbourne VIC 3051

**रेफरल:** intake@amwchr.org.au


**हमारी सभी सेवाओं और पक्ष-समर्थन कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए** www.amwchr.org.au **पर जाएं**

Australian Muslim Women's Centre for Human Rights
*Equality without Exception*

Hindi | हिन्दी

Australian Muslim Women's Centre for Human Rights
*Equality without Exception*

# ऑस्ट्रेलिया में विवाह: मुस्लिम महिलाओं, युवाओं और माता-पिता के लिए एक मार्गदर्शिका

## विवाह धार्मिक या सिविल हो सकते हैं

सिविल और धार्मिक दोनों प्रकार के विवाहों में सहमति आवश्यक है। सहमति, अनुमति कहने का एक और तरीका है। इसका अर्थ है कि विवाह में दोनों व्यक्ति पूरी तरह से समझते हैं कि विवाह हो रहा है, वे जानते हैं कि वे किससे विवाह कर रहे हैं, तथा वे विवाह की अनुमति देते हैं, उससे सहमत होते हैं, या विवाह करना चाहते हैं। सहमति वास्तविक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि किसी को धमकी, दबाव, झूठ, चालबाजी या हिंसा के माध्यम से 'सहमत' होने के लिए मजबूर किया गया है, तो यह सहमति नहीं है।

यदि विवाह में सहमति नहीं है, या यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और इसलिए सहमति देने में असमर्थ है, तो यह जबरन विवाह है। ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह कानून के विरुद्ध हैं।

### विवाह के लिए सहमति नहीं होगी, यदि:

- विवाह के लिए दबाव डाला जाए।
- किसी के साथ विवाह करने के लिए झूठ बोला जाए, चालबाजी की जाए या धोखा दिया जाए।
- किसी के साथ विवाह के लिए 'सहमत' होने के लिए धमकाया जाए, डराया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए।

किसी परिवार द्वारा परिवार के सदस्य को विवाह के लिए मजबूर करने के अनगिनत कारण हो सकते हैं। कई मामलों में वे वाकई ऐसा मानते हैं कि यह विवाह व्यक्ति और पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। अन्य मामलों में, विवाह को सीधे तौर पर दुर्व्यवहार, धमकी या छल-कपट के माध्यम से मजबूर किया जाता है। विवाह के पीछे चाहे जो भी उद्देश्य हो, किसी को भी एक अनिच्छित विवाह के लिए मजबूर करना कभी भी उचित नहीं होता है।

## एरेंज्ड मैरिज के बारे में क्या?

कुछ समुदायों में माता-पिता, परिवार या समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा विवाह की व्यवस्था करना आम बात हो सकती है। व्यवस्थित विवाह (एरेंज्ड मैरिज) में जीवनसाथी को चुनने या सुझाव देने का अधिकार माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को दिया जाता है, लेकिन विवाह करने वाले लोगों के पास फिर भी यह विकल्प होता है कि वे 'नहीं' या 'हां' कहें। दबाव डालना व्यवस्थित विवाह का हिस्सा नहीं है और यदि विवाह करने वाले एक या दोनों लोग 'नहीं' कहने में डर महसूस करते हैं, या ऐसा महसूस करते हैं कि वे 'नहीं' नहीं कह सकते हैं, तो हो सकता है कि वे दबाव या जबरदस्ती का अनुभव कर रहे हों।

| व्यवस्थित विवाह या जबरन विवाह? | व्यवस्थित विवाह | जबरन विवाह |
|---|---|---|
| दोनों पक्ष विवाह के लिए पूर्णत: और स्वतंत्र रूप से सहमति देते हैं | ✓ | X |
| दोनों पक्षों के पास किसी डर या दुष्परिणामों के जोखिम के बिना 'नहीं' कहने का विकल्प है | ✓ | X |
| एक कानूनी तरीका है | ✓ | X |

यदि दोनों पक्ष अपने माता-पिता या परिवार द्वारा तय किए गए विवाह के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत हैं, तथा उनके पास 'नहीं' कहने का भी स्वतंत्र विकल्प है, तो यह एक व्यवस्थित विवाह होगा, न कि एक जबरन विवाह। ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्थित विवाह वैध हैं।

कभी-कभी जबरन विवाह को उचित ठहराने के प्रयास में धर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में विवाह को वैध बनाने के लिए सहमति आवश्यक है।

## जबरन विवाह के बारे में कानून क्या कहता है?

ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के खतरे में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं। किसी व्यक्ति को विवाह के लिए मजबूर करना, या जबरन विवाह में शामिल होना कानून के विरुद्ध है। जबरन विवाह में पक्षकार होने के नाते निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं:

- किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना जो विवाह के लिए सहमति नहीं देता है।
- जबरन विवाह की योजना बनाने या उसे आयोजित करने में मदद करना (जैसेकि मित्र, परिवार या समुदाय के सदस्य के रूप में)।
- जबरन विवाह संपन्न कराना (समारोहकर्ता या इमाम के रूप में)।

किसी को जबरन विवाह के लिए विदेश ले जाना, या किसी को जबरन विवाह के लिए देश छोड़ने के लिए धोखा देना या मजबूर करना भी अवैध है।

ये कानून सभी विवाहों पर लागू होते हैं, चाहे वे सिविल रूप से पंजीकृत हों या धार्मिक समारोह हों। ये सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी आयु, लिंग, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो।

जबरन विवाह का शिकार होना गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि पीड़ितों को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाता है। यदि आपको विवाह के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह कभी भी आपकी गलती नहीं है - आपके पास सुरक्षा, विकल्प और समर्थन का अधिकार है

## सहायता या और अधिक जानकारी प्राप्त करना

ऑस्ट्रेलिया में विवाह के संबंध में कई पेशेवर सेवाएं उपलब्ध हैं, जो अधिकारों, कानूनों और प्रवासन संबंधी मुद्दों के बारे में सहायता और जानकारी प्रदान कर सकती हैं। इन सेवाओं के कर्मचारी आपकी आवश्यकताओं को सुनने और उनका समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, जिन पर आप अधिक जानकारी और गोपनीय सहायता के लिए कॉल कर सकते/ती हैं:

**ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम महिला मानवाधिकार केंद्र** – 03 9481 3000

**दि साल्वेशन आर्मी** – 1800 000 277

**Life Without Barriers** – 1800 403 213

**रेड क्रॉस** – 03 9345 1800